[2021] 4 उम. नि. प. 220

एन. जयश्री और अन्य

बनाम

चोलामंडलम मैसर्स जनरल इंश्योरेंश कं. लि.

[2021 की सिविल अपील सं. 6451]

25 अक्तूबर, 2021

न्यायमूर्ति एस. अब्दुल नज़ीर और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी

मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) – धारा 166 – प्रतिकर के लिए दावा अर्जी – मृतक की मोटर यान दुर्घटना में मृत्यु हो जाना – मृत्यु के समय पर उसकी सास उसके साथ रहना और भरण-पोषण के लिए उस पर आश्रित होना – मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण द्वारा विधिक प्रतिनिधि मानते हुए प्रतिकर का अवधारण किया जाना – अपील में उच्च न्यायालय द्वारा सास को मृतक पर आश्रित न मानते हुए प्रतिकर में कटौती किया जाना – चूंकि मोटर यान अधिनियम एक हितकारी विधान है और इसके उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विधिक प्रतिनिधि पद का एक उदार और व्यापक निर्वचन किया जाना चाहिए और इसे केवल मृतक के पति या पत्नी, माता-पिता और बालकों तक सीमित नहीं किया जाना चाहिए तथा जहां अभिलेख पर की सामग्री से स्पष्ट रूप से यह सिद्ध होता हो कि मृतक की सास अपने आश्रय और भरणपोषण के लिए मृतक पर आश्रित थी और लंबे समय से मृतक और उसके परिवार के साथ रही थी, वहां वह विधिक प्रतिनिधि होने के कारण प्रतिकर के लिए दावा अर्जी कायम रखने की हकदार है और मृतक पर उसकी आश्रितता के लिए प्रतिकर से इनकार करना न्यायोचित नहीं कहा जा सकता है ।

मोटर यान अधिनियम, 1988 – धारा 168 – प्रतिकर का अवधारण – मृतक की मोटर यान दुर्घटना में मृत्यु हो जाना – मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण द्वारा मृतक की आयु, उस पर परिवार के सदस्यों की आश्रितता और उसकी स्थायी नौकरी तथा मासिक आय के

आधार पर '11' का गुणक लागू करते हुए प्रतिकर अवधारित किया जाना – अपील में उच्च न्यायालय द्वारा मृतक की सेवानिवृत्ति-पूर्व और सेवानिवृत्ति-पश्चात् की संभाव्य आय की संगणना करने के लिए विभाजित गुणक का प्रयोग करते हुए प्रतिकर को कम किया जाना – न्यायोचितता – न्यायालय द्वारा आश्रितता की हानि की संगणना के प्रयोजन के लिए दुर्घटना के समय पर मृतक की वास्तविक आय पर विचार करते हुए भावी संभाव्यताओं को ध्यान में रखकर उसमें परिवर्धन करना चाहिए और जहां मृतक की आयु दुर्घटना के समय 52 वर्ष थी और उसकी स्थायी नौकरी थी, वहां विभाजित गुणक का प्रयोग करते हुए प्रतिकर का निर्धारण करना न्यायोचित नहीं कहा जा सकता है ।

इस अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि एन. वेणुगोपालन नायर नामक व्यक्ति की एक मोटर यान दुर्घटना में मृत्यु होने पर उसके आश्रितों-अपीलार्थियों द्वारा प्रतिकर की ईप्सा करते हुए मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के समक्ष दावा अर्जी फाइल की गई थी । अपीलार्थी सं. 1 मृतक की पत्नी है, अपीलार्थी सं. 2 और 3 उसकी पुत्रियां हैं और अपीलार्थी सं. 4 उसकी सास है । दुर्घटना के समय मृतक की आयु 52 वर्ष थी । मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण ने मृतक का वार्षिक वेतन 8,87,148/- रुपए के रूप में लिया । इसके लिए मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण ने '11' का गुणक लागू किया और निर्भरता की हानि शीर्ष के अधीन प्रतिकर की संगणना करने के प्रयोजनार्थ उसके व्यक्तिगत व्ययों के लिए आय की एक-चौथाई (1/4) कटौती की । निर्भरता की हानि के लिए 73,18,971/- रुपए की कुल राशि अधिनिर्णीत की गई । मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण ने दावा अर्जी की तारीख से वसूली की तारीख तक 7.5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित प्रतिकर के लिए 74,50,971/- रुपए की कुल राशि अधिनिर्णीत की । प्रत्यर्थी-बीमा कंपनी द्वारा मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के अधिनिर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील फाइल की गई । उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि मृतक की सास-अपीलार्थी सं. 4 मृतक की विधिक प्रतिनिधि नहीं थी । इसके अतिरिक्त, उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण को निर्भरता प्रतिकर का निर्धारण करने के लिए विभाजित गुणक लागू करना चाहिए था । उच्च न्यायालय ने मृतक की

40,000/- रुपए मासिक आय के रूप में नियत की और उसके व्यक्तिगत व्ययों के लिए आय की एक-तिहाई (1/3) कटौती की । उच्च न्यायालय ने सेवानिवृत्ति-पश्चात् की अवधि के लिए निर्भरता प्रतिकर की संगणना करने के लिए '7' का गुणक और सेवानिवृत्ति-पूर्व की अवधि के लिए '4' का गुणक लागू किया और प्रतिकर के रूप में कुल मिलाकर 48,39,728/- रुपए की राशि अधिनिर्णीत की गई । दावेदारों द्वारा उच्च न्यायालय के निर्णय से व्यथित होकर उच्चतम न्यायालय में अपील फाइल की गई । उच्चतम न्यायालय द्वारा अपील मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – मोटर यान अधिनियम, 1988 में 'विधिक प्रतिनिधि' पद को परिभाषित नहीं किया गया है । साधारणतया, 'विधिक प्रतिनिधि' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो विधित: मृतक व्यक्ति की संपदा का प्रतिनिधित्व करता है और इसमें ऐसा व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति सम्मिलित हैं जिसमें या जिनमें प्रतिकरात्मक फायदा प्राप्त करने का विधिक अधिकार है । 'विधिक प्रतिनिधि' में ऐसा व्यक्ति भी सम्मिलित हो सकता है जो मृतक की संपदा में दखलअंदाजी करता है । ऐसे व्यक्ति का आवश्यक रूप से एक विधिक उत्तराधिकारी होना आवश्यक नहीं है । विधिक उत्तराधिकारी वे व्यक्ति होते हैं जो मृतक की उत्तरजीविता संपदा को उत्तराधिकार में लेने के हकदार हैं । कोई विधिक उत्तराधिकारी एक विधिक प्रतिनिधि भी हो सकता है । इस न्यायालय के मत में, 'विधिक प्रतिनिधि' पद का मोटर यान अधिनियम के अध्याय 12 के प्रयोजनार्थ एक अधिक व्यापक निर्वचन किया जाना चाहिए और इसे केवल मृतक के पति या पत्नी, माता-पिता और बालकों तक सीमित नहीं किया जाना चाहिए । मोटर यान अधिनियम विपदग्रस्तों या उनके परिवारों को धनीय राहत प्रदान करने के उद्देश्य के लिए अधिनियमित एक हितकारी विधान है । अत: मोटर यान अधिनियम का इस अधिनियमिति के अंतर्निहित वास्तविक प्रयोजन की पूर्ति करने के लिए और इसके विधायी आशय को पूर्ण करने के लिए एक उदार और बृहतर निर्वचन करने की आवश्यकता है । इस न्यायालय का यह भी मत है कि कोई दावा अर्जी बनाए रखने हेतु, दावेदार के लिए अपनी निर्भरता की हानि को सिद्ध करना पर्याप्त है । मोटर यान अधिनियम की धारा 166 में यह स्पष्ट किया गया है कि प्रत्येक विधिक प्रतिनिधि, जिसे

किसी मोटर यान दुर्घटना में किसी व्यक्ति की मृत्यु के कारण क्षति पहुंची है, उसे प्रतिकर की वसूली का उपचार होना चाहिए । प्रस्तुत मामले में चतुर्थ अपीलार्थी मृतक की सास है । अभिलेख पर की सामग्री से स्पष्ट रूप से यह सिद्ध होता है कि वह मृतक और उसके परिवार के सदस्यों के साथ रह रही थी । वह उस पर अपने आश्रय और भरण-पोषण के लिए निर्भर थी । सास का अपनी वृद्धावस्था के दौरान अपनी पुत्री और दामाद के साथ रहना और अपने भरण-पोषण के लिए अपने दामाद पर निर्भर रहना भारतीय समाज में असामान्य बात नहीं है । इस मामले में अपीलार्थी सं. 4 मृतक की विधिक उत्तराधिकारी न भी हो, किंतु उसे मृतक की मृत्यु के कारण निश्चित रूप से क्षति पहुंची थी । इसलिए इस न्यायालय को यह अभिनिर्धारित करने में कोई संकोच नहीं है कि वह मोटर यान अधिनियम की धारा 166 के अधीन एक "विधिक प्रतिनिधि" है और दावा अर्जी बनाए रखने की हकदार है । (पैरा 14, 16 और 21)

दुर्घटना के समय मृतक की आयु 52 वर्ष थी । वह सहायक प्रोफेसर के रूप में कार्य कर रहा था और 83,831/- रुपए (तिरासी हजार आठ सौ इकत्तीस रुपए केवल) मासिक वेतन ले रहा था । अभिलेख पर के साक्ष्य से दर्शित होता है कि वह एम.एससी., एम.फिल अर्हताओं के साथ एक मेधावी व्यक्ति था । वह एम.एससी में प्रथम श्रेणी धारक था । वह गणित में एक चयन श्रेणी प्राध्यापक था और एक विषय-विशेषज्ञ था । उसे महात्मा गांधी विश्वविद्यालय के पैनल में भी सम्मिलित किया गया था और गणित में सीबीसीसीएसएस कार्यक्रम के लिए परीक्षक बोर्ड में परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था । तत्पश्चात्, उसे परीक्षक बोर्ड के उप सभापति के रूप में नियुक्त किया गया था । अभिलेख पर के साक्ष्य से यह भी दर्शित होता है कि महाविद्यालयों में नियुक्ति के लिए गणित के प्राध्यापकों की भारी कमी है और बहुत सारे महाविद्यालयों में सेवानिवृत्त गणित के प्रोफेसर नियुक्त किए जाते हैं । यह सामान्य जानकारी की बात है कि अध्यापकों, विशेष रूप से गणित के अध्यापकों को उनकी सेवानिवृत्ति के पश्चात् भी कोचिंग केंद्रों में नियोजित किया जाता है । वे प्राइवेट ट्यूशन कक्षाएं भी ले सकते हैं ।

इससे सेवानिवृत्ति के पश्चात् उनकी आय कई गुणा बढ़ जाएगी । उपरोक्त चर्चा से यह स्पष्ट है कि आय की संगणना के समय न्यायालय को मृतक की वास्तविक आय पर विचार करना चाहिए और भावी संभाव्यताओं पर विचार करते हुए परिवर्धन किया जाना चाहिए । इसके अतिरिक्त, किसी प्रस्तुत मामले में साक्ष्य से वृद्धि की विभिन्न प्रतिशतता उपदर्शित हो सकती है, किंतु भावी संभाव्यताओं के लिए लागू किए जाने वाले भिन्न-भिन्न मानदंडों या अपनाए जाने वाली संगणना की भिन्न-भिन्न पद्धतियों से बचने के लिए परिवर्धन का मानकीकरण किया जाना चाहिए । उपरोक्त को दृष्टिगत करते हुए, उच्च न्यायालय ने इस मामले में विभाजित गुणक लागू करके न्यायोचित नहीं किया था । (पैरा 22 और 28)

चूंकि मृतक की उसकी मृत्यु के समय पर 52 वर्ष आयु थी, इसलिए लागू होने वाला गुणक '11' है । जैसा कि इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि अपीलार्थी सं. 4, मृतक की सास भी मोटर यान अधिनियम की धारा 166 के अधीन एक आश्रित और "विधिक प्रतिनिधि" है, इसलिए मृतक द्वारा अपने पीछे छोड़े गए आश्रितों की कुल संख्या चार है । अत: उसके व्यक्तिगत व्ययों के लिए आय की एक-चौथाई (वास्तविक वेतन + भावी संभाव्यताओं) कटौती की जानी चाहिए । इस प्रकार, निर्भरता की हानि के लिए संदेय कुल प्रतिकर निम्नलिखित है :-

(1)	(i) वार्षिक वेतन (ii) कर को घटाकर (iii) वास्तविक वेतन	10,00,572/- रुपए 1,13,424/- रुपए 8,87,148/- रुपए
(2)	भावी संभाव्यताएं : वास्तविक वेतन का 15 प्रतिशत	1,33,072/- रुपए
(3)	निर्भरता की हानि : (1) 8,87,148 + (2) 1,33,072-1/4 अर्थात् 2,55,055x11	84,16,815/- रुपए

निर्दिष्ट निर्णय

पैरा

[2020] (2020) एस. एस. सी. ऑनलाइन एस. सी. 410 = ए. आई. आर. 2020 एस. सी. 3076 : **युनाइटेड इंडिया इंश्योरेंश कं. लि.** बनाम **सतिन्दर कौर उर्फ सतविन्दर कौर और अन्य** ; 34

[2017] (2017) 16 एस. सी. सी. 680 : **नेशनल इंश्योरेंस कं. लि.** बनाम **प्रणय सेठी और अन्य** ; 7,25,30,32,33,34

[2014] (2014) 3 एस. सी. सी. 394 : **मोंटफोर्ड ब्रदर्स ऑफ सेंट गेबरियल और एक अन्य** बनाम **युनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस और एक अन्य** ; 20

[2013] (2013) 15 एस. सी. सी. 45 : **पुतम्मा और अन्य** बनाम **के. एल. नारायण रेड्डी और एक अन्य** ; 27

[2013] (2013) 9 एस. सी. सी. 65 : **रेशमा कुमारी और अन्य** बनाम **मदन मोहन और एक अन्य** ; 24

[2011] (2011) 4 एस. सी. सी. 689 : **के. आर. मधुसूदन और अन्य** बनाम **प्रशासनिक अधिकारी और एक अन्य** ; 26

[2009] (2009) 6 एस. सी. सी. 121 : **सरला वर्मा (श्रीमती) और अन्य** बनाम **दिल्ली परिवहन निगम और एक अन्य** ; 7, 23

[2007] (2007) 10 एस. सी. सी. 715 : **हफीज़न बेगम (श्रीमती)** बनाम **मोहम्मद इकरम हक़ और अन्य** ; 19

[1987] (1987) 3 एस. सी. सी. 234 :
गुजरात राज्य सड़क परिवहन निगम,
अहमदाबाद बनाम **रमनभाई प्रभातभाई**
और एक अन्य । 18

अपीली (सिविल) अधिकारिता : 2021 की सिविल अपील सं. 6451.

2013 की मोटर दुर्घटना दावा अपील सं. 1560 में केरल उच्च न्यायालय, ऐर्नाकुलम द्वारा तारीख 8 अगस्त, 2017 को पारित किए गए निर्णय के विरुद्ध अपील ।

अपीलार्थियों की ओर से सर्वश्री थॉमस पी. जोसफ, ज्येष्ठ अधिवक्ता, बिजो मैथ्यू जॉय, डिन्नी थॉमस और शेषतल्पा साई बंडारू

प्रत्यर्थी की ओर से सुश्री मीनाक्षी मिड्डा, श्री कपिल मिड्डा, सुश्री प्रीतिका जुनेजा, सुश्री वर्षा सिंह और चंद्र शेखर अशरी

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति एस. अब्दुल नज़ीर ने दिया ।

न्या. नज़ीर – इजाजत दी गई ।

2. यह अपील 2013 की मोटर दुर्घटना दावा अपील सं. 1560 में केरल उच्च न्यायालय, ऐर्नाकुलम द्वारा तारीख 9 अगस्त, 2017 को दिए गए निर्णय के विरुद्ध फाइल की गई है । उच्च न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय के द्वारा वर्तमान अपीलार्थियों को संदेय प्रतिकर की रकम को कम कर दिया था और तद्द्वारा 2011 की मूल अर्जी (मोटर यान) सं. 843 में मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, कोट्टायम द्वारा तारीख 26 अप्रैल, 2013 को पारित किए गए अधिनिर्णय को उपांतरित कर दिया गया था ।

3. अपीलार्थियों ने मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के समक्ष पूर्वोक्त दावा अर्जी एन. वेणुगोपालन नायर की एक मोटर यान दुर्घटना में, जो तारीख 26 जून, 2011 को घटी थी, मृत्यु होने के कारण प्रतिकर की ईप्सा करते हुए फाइल की गई थी । अपीलार्थी सं. 1 मृतक की पत्नी है,

अपीलार्थी सं. 2 और 3 उसकी पुत्रियां हैं और अपीलार्थी सं. 4 उसकी सास है ।

4. दुर्घटना घटने और प्रत्यर्थी-बीमाकर्ता के प्रतिकर का संदाय करने के दायित्व के बारे में कोई विवाद नहीं है । इस स्वीकृत स्थिति को ध्यान में रखते हुए, दुर्घटना के तथ्यात्मक पहलुओं का वर्णन करना अनावश्यक है ।

5. दुर्घटना के समय मृतक की आयु 52 वर्ष थी । मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण ने मृतक का वार्षिक वेतन 8,87,148/- रुपए के रूप में लिया । इसके लिए मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण ने '11' का गुणक लागू किया और निर्भरता की हानि शीर्ष के अधीन प्रतिकर की संगणना करने के प्रयोजनार्थ उसके व्यक्तिगत व्ययों के लिए आय की एक-चौथाई (1/4) कटौती की । निर्भरता की हानि के लिए 73,18,971/- रुपए (तिहतर लाख अठारह हजार नौ सौ इकहतर रुपए) की कुल राशि अधिनिर्णीत की गई । मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण ने दावा अर्जी की तारीख से वसूली की तारीख तक 7.5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित प्रतिकर के लिए 74,50,971/- रुपए (चौहतर लाख पचास हजार नौ सौ इकहतर रुपए) की कुल राशि अधिनिर्णीत की । इस प्रकार, अपीलार्थियों को अधिनिर्णीत की गई रकम निम्न प्रकार से है :–

क्र. सं.	दावे का शीर्षक	दावाकृत रकम (रुपयों में)	अधिनिर्णीत रकम (रुपयों में)	संक्षेप में महत्वपूर्ण ब्यौरे का आधार
1.	परिवहन	5,000	4,000	परिवहन प्रभारों को देखते हुए
2.	अंत्येष्टि व्यय	10,000	7,000	अकलित रकम
3.	वस्त्रों का नुकसान	1,500	1,000	.....यथोपरि....
4.	निर्भरता	1,06,82,100	73,18,971	(8,87,148-

	की हानि			2,21,787)x11=73,1,971
5.	वेदना और कष्ट	10,000	15,000	विपदग्रस्त द्वारा अपनी मृत्यु से पूर्व सहन की गई वेदना को देखते हुए
6.	प्यार और स्नेह की हानि	1,00,000	70,000	अर्जीदार 2, 3 ओर 4 ने विपदग्रस्त के प्यार और स्नेह को खो दिया था
7.	सहवास की हानि	1,00,000	25,000	प्रथम अर्जीदार ने अपने पति के साहचर्य को खो दिया था
8.	संपदा की हानि	1,00,000/-	10,000	अकलित रकम
9.	जीवन की प्रत्याशा की हानि	2,00,000	मंजूर नहीं की गई	अन्य शीर्ष मंजूर किए गए
	कुल	1,12,08,600	74,50,971	.....

6. तथापि, उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि अपीलार्थी सं. 4 मृतक की विधिक प्रतिनिधि नहीं थी । इसके अतिरिक्त, उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण को निर्भरता प्रतिकर का निर्धारण करने के लिए विभाजित गुणक लागू करना चाहिए था । उच्च न्यायालय ने मृतक की 40,000/- रुपए (चालीस हजार रुपए केवल) मासिक आय के रूप में नियत की और उसके व्यक्तिगत व्ययों के लिए आय की एक-तिहाई (1/3) कटौती की । उच्च न्यायालय ने सेवानिवृत्ति-पश्चात् की अवधि के लिए निर्भरता प्रतिकर की संगणना करने के लिए '7' का गुणक और सेवानिवृत्ति-पूर्व की अवधि के लिए '4' का गुणक लागू किया । तद्नुसार, उच्च न्यायालय ने सेवानिवृत्ति-पूर्व की अवधि हेतु निर्भरता की हानि के लिए 23,65,728/- रुपए (तेइस लाख पैसठ हजार सात सौ अठाइस रुपए

केवल) और सेवानिवृत्ति-पश्चात् की अवधि हेतु निर्भरता की हानि के लिए 22,40,000/- रुपए (बाइस लाख चालीस हजार रुपए केवल) की राशि का प्रतिकर अधिनिर्णीत किया । सहवास की हानि के लिए 1,00,000/- रुपए (एक लाख रुपए केवल), अंत्येष्टि व्यय के लिए 25,000/- रुपए (पच्चीस हजार रुपए केवल) और प्यार तथा स्नेह की हानि के लिए 80,000/- रुपए (अस्सी हजार रुपए केवल) की राशि अधिनिर्णीत की गई । उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिकर के रूप में कुल मिलाकर 48,39,728/- रुपए (अड़तालीस लाख उनतालीस हजार सात सौ अठाइस रुपए केवल) की राशि अधिनिर्णीत की गई थी ।

7. हमने पक्षकारों की ओर से विद्वान् काउंसेलों को सुना । अपीलार्थियों की ओर से विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी कि उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी सं. 4 को मृतक के विधिक प्रतिनिधि के रूप में अलग करके न्यायोचित नहीं किया था । वह मृतक की सास है और मृतक तथा उसके परिवार के सदस्यों के साथ रह रही है । अत: वह प्रतिकर का अवधारण करने के प्रयोजन के लिए एक विधिक प्रतिनिधि के रूप में समझे जाने की हकदार है । तद्नुसार, मृतक की एक-चौथाई आय की उसके व्यक्तिगत व्यय के लिए कटौती की जानी चाहिए थी । इसके अतिरिक्त, यह दलील दी गई कि उच्च न्यायालय ने **सरला वर्मा (श्रीमती) और अन्य** बनाम **दिल्ली परिवहन निगम और एक अन्य**[1] वाले मामले में इस न्यायालय के निर्णय तथा **नेशनल इंश्योरेंस कं. लि.** बनाम **प्रणय सेठी और अन्य**[2] वाले मामले में इस न्यायालय की संविधान न्यायपीठ के पश्चात्वर्ती निर्णय को ध्यान में रखते हुए एक विभाजित गुणक लागू करके न्यायोचित नहीं किया था । यह भी तर्क दिया गया कि मृतक एक मेधावी व्यक्ति था जो एम.एससी एम.फिल अर्हता रखता था । उसका मासिक वेतन 83,831/- रुपए था, जो अभिलेख पर की सामग्री से स्पष्ट होता है । उच्च न्यायालय ने निर्भरता की हानि की संगणना करने के प्रयोजन के लिए उसकी मासिक आय 40,000/- रुपए ली थी, जिसका कोई औचित्य नहीं था । उपरोक्त को दृष्टिगत करते

---

[1] (2009) 6 एस. सी. सी. 121.

[2] (2017) 16 एस. सी. सी. 680.

हुए, उच्च न्यायालय ने मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण द्वारा अधिनिर्णीत प्रतिकर की रकम को कम करके न्यायोचित नहीं किया था ।

8. दूसरी ओर, प्रत्यर्थी की ओर से विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी कि दुर्घटना के समय मृतक की आयु 52 वर्ष थी । उसने अपनी सेवानिवृत्ति के पश्चात् इतनी ही मासिक आय अर्जित नहीं की होती । इस बात को ध्यान में रखते हुए, उच्च न्यायालय ने निर्भरता की हानि की संगणना करने के लिए एक विभाजित गुणक लागू किया था । यह भी दलील दी गई कि अपीलार्थी सं. 4, जो मृतक की सास है, को उसके विधिक प्रतिनिधि के रूप में नहीं समझा जा सकता है । इसके अतिरिक्त, यह दलील दी गई कि उच्च न्यायालय ने मृतक का मासिक वेतन 40,000/- रुपए के रूप में लेकर और व्यक्तिगत व्ययों के लिए आय की एक-तिहाई कटौती करके न्यायोचित किया था और निर्भरता की हानि के लिए उचित प्रतिकर अधिनिर्णीत किया गया था ।

9. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हमारे समक्ष विचार के लिए प्रश्न यह हैं : (I) क्या उच्च न्यायालय ने मृतक की सास (अपीलार्थी सं. 4) को उसके विधिक प्रतिनिधि के रूप में प्रवारित करके न्यायोचित किया था ? (II) क्या उच्च न्यायालय ने एक विभाजित गुणक लागू करके न्यायोचित किया था ? (III) पूर्ववर्ती प्रश्नों के निष्कर्ष के आधार पर प्रतिकर की वह रकम क्या है जो अपीलार्थियों को अधिनिर्णीत की जानी चाहिए ?

(I) <u>क्या उच्च न्यायालय ने मृतक की सास (अपीलार्थी सं. 4) को उसके विधिक प्रतिनिधि के रूप में प्रवारित करके न्यायोचित किया था</u> ?

10. मोटर यान अधिनियम, 1988 (संक्षेप में मोटर यान अधिनियम) के उपबंधों में 'न्यायसंगत और उचित प्रतिकर' की धारणा को प्रमुख महत्व दिया गया है । यह एक फायदाप्रद विधान है जिसे विपदग्रस्तों या उनके परिवारों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से विरचित किया गया है । मोटर यान अधिनियम की धारा 168 'न्यायसंगत प्रतिकर' की धारणा के संबंध में है जिसका अवधारण ऋजुता, युक्तियुक्तता और साम्यता के आधार पर किया जाना चाहिए ।

यद्यपि ऐसा अवधारण कभी भी अंकगणितीय रूप से सटीक या सही नहीं हो सकता है, तो भी न्यायालय द्वारा आवेदक/आवेदकों द्वारा दावाकृत रकम को विचार में लाए बिना न्यायसंगत और उचित प्रतिकर का अधिनिर्णय करने का प्रयास करना चाहिए । **सरला वर्मा** (उपर्युक्त) वाले मामले में इस न्यायालय ने निम्नलिखित अधिकथित किया है :–

> "16. .... 'न्यायसंगत प्रतिकर' वह पर्याप्त प्रतिकर है जो मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर, प्रतिकर का अधिनिर्णय करने से संबंधित सुस्थिर सिद्धांतों को लागू करते हुए, दोष के परिणामस्वरूप पहुंची हानि की भरपाई करने के लिए, जहां तक धन से ऐसा किया जा सकता है, उचित और साम्य हो । इसका आशय समृद्धि, उदार दान या लाभ का स्रोत होना नहीं है ।"

11. **सरला वर्मा** (उपर्युक्त) वाले मामले में यह भी अभिनिर्धारित किया गया था कि जहां मृतक विवाहित था और जहां परिवार के आश्रित सदस्यों की संख्या 2 और 3 के बीच हो, वहां व्यक्तिगत और जीवन निर्वाह के व्ययों के लिए कटौती एक-तिहाई (1/3), जहां परिवार के आश्रित सदस्यों की संख्या 4 और 6 के बीच हो, वहां एक-चौथाई (1/4) और जहां परिवार के आश्रित सदस्यों की संख्या छह से अधिक हो, वहां पांचवां भाग (1/5) होनी चाहिए ।

12. प्रस्तुत मामले में, अपीलार्थियों की यह दलील है कि मृतक की सास लंबे समय से मृतक और उसके परिवार के सदस्यों के साथ रह रही थी । मृतक के आश्रितों की संख्या, जिसमें उसकी सास भी है, पर विचार करते हुए मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण ने उसके व्यक्तिगत व्ययों के लिए आय की एक-चौथाई (1/4) कटौती की थी । तथापि, उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि अपीलार्थी सं. 4 को, मृतक की सास होने के कारण, मृतक के आश्रित के रूप में नहीं माना जा सकता है । अत: उच्च न्यायालय ने आश्रितों की संख्या तीन के रूप में अवधारित की और तद्नुसार मृतक की आय की उसके व्यक्तिगत व्ययों के लिए एक-तिहाई कटौती की ।

13. मोटर यान अधिनियम की धारा 166 में प्रतिकर के लिए

आवेदन फाइल करने हेतु उपबंध किया गया है । उक्त धारा का सुसंगत भाग निम्नलिखित है :–

"166. धारा 165 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट प्रकार की दुर्घटना से उद्भूत प्रतिकर के लिए आवेदन निम्नलिखित द्वारा किया जा सकेगा, अर्थात् –

(क) उस व्यक्ति द्वारा जिसे क्षति हुई है ; या

(ख) संपत्ति के स्वामी द्वारा ; या

(ग) जब दुर्घटना के परिणामस्वरूप मृत्यु हुई है, तब मृतक के सभी या किसी विधिक प्रतिनिधि द्वारा ; या

(घ) जिस व्यक्ति को क्षति पहुंची है उसके द्वारा अथवा सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी अभिकर्ता द्वारा अथवा मृतक के सभी या किसी विधिक प्रतिनिधि द्वारा :

परंतु जहां प्रतिकर के लिए किसी आवेदन में मृतक के सभी विधिक प्रतिनिधि सम्मिलित नहीं हुए हैं, वहां वह आवेदन मृतक के सभी विधिक प्रतिनिधियों की ओर से या उनके फायदे के लिए किया जाएगा और जो विधिक प्रतिनिधि ऐसे सम्मिलित नहीं हुए हैं, उन्हें आवेदन के प्रत्यर्थियों के रूप में पक्षकार बनाया जाएगा ।"

14. मोटर यान अधिनियम में 'विधिक प्रतिनिधि' पद को परिभाषित नहीं किया गया है । साधारणतया, 'विधिक प्रतिनिधि' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो विधित: मृतक व्यक्ति की संपदा का प्रतिनिधित्व करता है और इसमें ऐसा व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति सम्मिलित हैं जिसमें या जिनमें प्रतिकरात्मक फायदा प्राप्त करने का विधिक अधिकार है । 'विधिक प्रतिनिधि' में ऐसा व्यक्ति भी सम्मिलित हो सकता है जो मृतक की संपदा में दखलअंदाजी करता है । ऐसे व्यक्ति का आवश्यक रूप से एक विधिक उत्तराधिकारी होना आवश्यक नहीं है । विधिक उत्तराधिकारी वे व्यक्ति होते हैं जो मृतक की उत्तरजीविता संपदा को उत्तराधिकार में लेने के हकदार हैं । कोई विधिक उत्तराधिकारी एक

विधिक प्रतिनिधि भी हो सकता है ।

15. फिलहाल जांच के लिए निर्देशात्मक रूप से, केरल मोटर यान नियम, 1989 में 'विधिक प्रतिनिधि' पद को निम्न प्रकार से परिभाषित किया गया है :–

> "'विधिक प्रतिनिधि' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो विधित: मृतक की संपदा को उत्तराधिकार में प्राप्त करने का हकदार है, यदि मृतक ने अपनी मृत्यु के समय पर कोई संपदा छोड़ी थी और इसमें मृतक का कोई विधिक उत्तराधिकारी तथा मृतक की संपदा का निष्पादक या प्रशासक भी सम्मिलित है ।"

16. हमारे मत में, 'विधिक प्रतिनिधि' पद का मोटर यान अधिनियम के अध्याय 12 के प्रयोजनार्थ एक अधिक व्यापक निर्वचन किया जाना चाहिए और इसे केवल मृतक के पति या पत्नी, माता-पिता और बालकों तक सीमित नहीं किया जाना चाहिए । जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, मोटर यान अधिनियम विपदग्रस्तों या उनके परिवारों को धनीय राहत प्रदान करने के उद्देश्य के लिए अधिनियमित एक हितकारी विधान है । अत: मोटर यान अधिनियम का इस अधिनियमिति के अंतर्निहित वास्तविक प्रयोजन की पूर्ति और इसके विधायी आशय को पूर्ण करने के लिए एक उदार और अधिक व्यापक निर्वचन करना आवश्यक है । हमारा यह भी मत है कि कोई दावा अर्जी बनाए रखने हेतु, दावेदार के लिए अपनी निर्भरता की हानि को सिद्ध करना पर्याप्त है । मोटर यान अधिनियम की धारा 166 में यह स्पष्ट किया गया है कि प्रत्येक विधिक प्रतिनिधि, जिसे किसी मोटर यान दुर्घटना में किसी व्यक्ति की मृत्यु के कारण क्षति पहुंची है, उसे प्रतिकर की वसूली के लिए उपचार होना चाहिए ।

17. यह स्थिर है कि व्यक्तिगत व्ययों के लिए कटौती की प्रतिशतता एक कठोर नियम या सर्वव्यापी प्रयोग के सिद्धांत द्वारा शासित नहीं हो सकती है । यह मृतक के साथ दावेदार के संबंध के आधार पर भी निर्भर नहीं है । कुछ मामलों में, पिता की स्वयं अपनी आय हो सकती है और इस प्रकार उसे आश्रित नहीं समझा जाएगा ।

कभी-कभी, भाइयों और बहिनों को आश्रित के रूप में नहीं समझा जाएगा क्योंकि वे या तो स्वतंत्र हो सकते हैं या कमा रहे हों या विवाहित हों या पिता पर आश्रित हो सकते हैं । इस प्रकार, व्यक्तिगत व्ययों के लिए कटौती की प्रतिशतता प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करती है ।

18. प्रस्तुत मामले में, विचार करने के लिए प्रश्न यह है कि क्या चतुर्थ अपीलार्थी प्रतिकर का दावा करने के प्रयोजनार्थ 'विधिक प्रतिनिधि' अभिव्यक्ति के अंतर्गत आएगी । **गुजरात राज्य सड़क परिवहन निगम, अहमदाबाद** बनाम **रमनभाई प्रभातभाई और एक अन्य**[1] वाले मामले में इस न्यायालय ने एक मृतक, जिसकी एक मोटर यान दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, के भाई की मोटर यान अधिनियम के उपबंधों के अधीन दावा अर्जी बनाए रखने की हकदारी पर विचार करते हुए निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया था :–

> "13. हमारा यह विचार है कि गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा भारतीय समाज की दशाओं को ध्यान में रखते हुए अपनाया गया दृष्टिकोण न्याय, साम्यता और शुद्ध अंत:करण के अनुरूप है । प्रत्येक विधिक प्रतिनिधि को, जिसको किसी मोटर यान दुर्घटना के कारण किसी व्यक्ति की मृत्यु की वजह से क्षति पहुंचती है, प्रतिकर की वसूली के लिए उपचार होना चाहिए और इसका उपबंध अधिनियम की धारा 110-क से 110-च द्वारा किया गया है । ये उपबंध अपकृत्य विधि के इन सिद्धांतों के अनुरूप हैं कि प्रत्येक क्षति के लिए अवश्य एक उपचार होना चाहिए । मोटर यान दुर्घटना अधिकरण को उस प्रतिकर का अवधारण करना चाहिए जो उसे अधिनियम की धारा 11-ख द्वारा उपबंधित अनुसार न्यायसंगत प्रतीत होता है और उस व्यक्ति या उन व्यक्तियों को विनिर्दिष्ट करना चाहिए जिन्हें प्रतिकर संदत्त किया जाएगा । संदेय प्रतिकर का अवधारण और अधिनियम की धारा 110-ख द्वारा यथा अपेक्षित उन विधिक प्रतिनिधियों के बीच प्रतिकर का प्रभाजन, जिनके फायदे के लिए अधिनियम की धारा 110-क के अधीन

---

[1] (1987) 3 एस. सी. सी. 234.

आवेदन फाइल किया जाए, विधि के भली-भांति परिचित सिद्धांतों के अनुसार किया जाना चाहिए । हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि भारतीय परिवारों में भाई, बहिन और भाइयों के बालक और कभी-कभी पोष्य बालक एक-साथ रहते हैं और वे परिवार की रोजी-रोटी कमाने वाले पर आश्रित होते हैं और यदि रोजी-रोटी कमाने वाला किसी मोटर यान दुर्घटना में मर जाता है, तो उन्हें घातक दुर्घटना अधिनियम, 1855 के उपबंधों का अवलंब लेने के उपरांत उस प्रतिकर से इनकार करने का कोई न्यायोचित्य नहीं है जिसे, जैसा कि हमने पहले अभिनिर्धारित किया है, मोटर यान दुर्घटनाओं से उद्भूत मामलों के संबंध में अधिनियम में अंतर्विष्ट उपबंधों द्वारा सारभूत रूप से उपांतरित किया गया है । हम मग्जीभाई खीमजी विरा **बनाम** चतुरभाई तलजाभगुजरी (ए. आई. आर. 1977 गुजरात 195) वाले मामले में के विनिश्चय का अनुमोदन करते हैं और यह अभिनिर्धारित करते हैं कि किसी व्यक्ति का भाई, जिसकी किसी मोटर यान दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है, यदि वह मृतक का विधिक प्रतिनिधि है, तो वह अधिनियम की धारा 110-क के अधीन अर्जी कायम करने का हकदार है ।"

(बल देने के लिए रेखांकन किया गया है)

19. **हफीज़न बेगम (श्रीमती)** बनाम **मोहम्मद इकरम हक़ और अन्य**[1] वाले मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि :–

"7. ..... 12. जैसा कि इस न्यायालय द्वारा कस्टोडियन ऑफ ब्रांचेज ऑफ बानको नेशनल अल्ट्रामरिनो **बनाम** नलिनी बाई नायक्यू [(1989) 2 सप्ली. एस. सी. सी. 275] वाले मामले में मत व्यक्त किया गया है, सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 2(11) में अंतर्विष्ट परिभाषा समावेशी प्रकृति की है और इसकी परिधि व्यापक है और यह केवल विधिक उत्तराधिकारियों तक सीमित नहीं है । इसके बजाय, इसमें यह अनुबंधित है कि कोई व्यक्ति, जो विधिक उत्तराधिकारी हो या न हो, मृतक की संपत्ति को उत्तराधिकार में लेने के लिए सक्षम है, तो मृतक व्यक्ति की संपदा

[1] (2007) 10 एस. सी. सी. 715.

का प्रतिनिधित्व कर सकता है । इसमें उत्तराधिकारी तथा वे व्यक्ति सम्मिलित हैं जो हक के बिना भी या तो निष्पादकों के रूप में या मृतक की संपदा के कब्जे के प्रशासकों के रूप में प्रतिनिधित्व करते हैं । ऐसे सभी व्यक्ति 'विधिक प्रतिनिधि' अभिव्यक्ति के अंतर्गत आएंगे । जैसा कि गुजरात राज्य सड़क परिवहन निगम **बनाम** रमनभाई प्रभातभाई [(1987) 3 एस. सी. सी. 234] वाले मामले में मत व्यक्त किया गया है, विधिक प्रतिनिधि वह है जिसे किसी मोटर यान दुर्घटना में किसी व्यक्ति की मृत्यु के कारण क्षति पहुंचती है और यह आवश्यक नहीं है कि ऐसा व्यक्ति आवश्यक रूप से पत्नी, पति, माता-पिता और बालक हो ।"

(बल देने के लिए रेखांकन किया गया है)

20. **मोंटफोर्ड ब्रदर्स ऑफ सेंट गेबरियल और एक अन्य** बनाम **युनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस और एक अन्य**[1] वाले मामले में यह न्यायालय एक पूर्त सोसायटी की दावा याचिका पर इसके सदस्य की मृत्यु होने के कारण प्रतिकर का अधिनिर्णय करने के लिए विचार कर रहा था । उस मामले में अपीलार्थी-सोसायटी एक पंजीकृत पूर्त सोसायटी थी और कैथोलिक चर्च की घटक इकाई के रूप में विभिन्न संस्थाएं चला रही थी । इसके सदस्यों ने अपीलार्थी-सोसायटी में सम्मिलित होने के पश्चात् संसार का परित्याग कर दिया था और 'ब्रदर' के रूप में जाने जाते थे । इस मामले में, एक 'ब्रदर' की एक मोटर यान दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी । पूर्वोक्त 'ब्रदर' की मृत्यु होने के कारण प्रतिकर की ईप्सा करते हुए अपीलार्थी-सोसायटी द्वारा फाइल की गई दावा अर्जी को उच्च न्यायालय द्वारा इसकी संधार्यता के आधार पर नामंजूर कर दिया गया । इस न्यायालय ने मोटर यान अधिनियम के विभिन्न उपबंधों की परीक्षा करने के पश्चात् यह अभिनिर्धारित किया कि अपीलार्थी-सोसायटी मृतक 'ब्रदर' की विधिक प्रतिनिधि है । दावा अर्जी को मंजूर करते हुए यह मत व्यक्त किया गया था :–

"17. अधिकरण के निर्णय और आदेश का परिशीलन करने पर

---

[1] (2014) 3 एस. सी. सी. 394.

यह प्रकट होता है कि यद्यपि विवाद्यक सं. 1 पर बल नहीं दिया गया था और इसलिए अपीलार्थी दावेदारों के पक्ष में विनिश्चित किया गया था, जबकि दावेदारों के लिए प्रतिकर की मात्रा पर विचार करते हुए अधिकरण ने एक बहुत ही सतर्क दृष्टिकोण अपनाया और स्वयं के लिए यह एक प्रश्न विरचित किया कि ऐसे मामलों में प्रतिकर का निर्धारण करने के लिए क्या मानदंड होना चाहिए जहां मृतक एक रोमन कैथोलिक था और अपने परिवार का परित्याग करने के पश्चात् चर्च की सेवाएं ग्रहण कर ली थीं और इसलिए कोई वास्तविक आश्रित नहीं था या कमाई नहीं थी ? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए अधिकरण ने न केवल अमेरिका और आंग्ल न्यायालयों का अवलंब लिया अपितु भारतीय निर्णयों का भी इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए अवलंब लिया कि किसी स्वैच्छिक कर्मकार की मृत्यु के कारण किसी धार्मिक विन्यास या संगठन को भी पर्याप्त हानि हो सकती है । अधिकरण ने यह भी विनिश्चय किया कि मृतक के विधिक प्रतिनिधि के रूप में प्रतिकर के लिए कौन हकदार होना चाहिए और इस प्रयोजन के लिए अधिकरण ने सुदामा देवी **बनाम** जोगेन्द्र चौधरी (ए. आई. आर. 1987 पटना 239) वाले मामले में पटना उच्च न्यायालय की पूर्ण न्यायपीठ के निर्णय का अवलंब लिया, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि 'विधिक प्रतिनिधि' पद मृतक की संपदा में 'दखलअंदाजी करने वालों' को भी इसमें सम्मिलित करने के लिए पर्याप्त व्यापक है । अधिकरण ने कुछ भारतीय निर्णयों को भी निर्दिष्ट किया जिनमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि न्यासिता और न्यास संपत्ति के उत्तराधिकारी सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 2(11) के अर्थांतर्गत विधिक प्रतिनिधि हैं ।"

21. प्रस्तुत मामले के तथ्यों पर आते हैं । चतुर्थ अपीलार्थी मृतक की सास है । अभिलेख पर की सामग्री से स्पष्ट रूप से यह सिद्ध होता है कि वह मृतक और उसके परिवार के सदस्यों के साथ रह रही थी । वह उस पर अपने आश्रय और भरणपोषण के लिए निर्भर थी । सास का अपनी वृद्धावस्था के दौरान अपनी पुत्री और दामाद के साथ रहना और

अपने भरणपोषण के लिए अपने दामाद पर निर्भर रहना भारतीय समाज में असामान्य बात नहीं है । इस मामले में अपीलार्थी सं. 4 मृतक की विधिक उत्तराधिकारी न भी हो, किंतु उसे मृतक की मृत्यु के कारण निश्चित रूप से क्षति पहुंची थी । इसलिए हमें यह अभिनिर्धारित करने में कोई संकोच नहीं है कि वह मोटर यान अधिनियम की धारा 166 के अधीन एक "विधिक प्रतिनिधि" है और दावा अर्जी बनाए रखने के लिए हकदार है ।

(II) क्या उच्च न्यायालय ने एक विभाजित गुणक लागू करके न्यायोचित किया था ?

22. दुर्घटना के समय मृतक की आयु 52 वर्ष थी । वह सहायक प्रोफेसर के रूप में कार्य कर रहा था और 83,831/- रुपए (तिरासी हजार आठ सौ इकत्तीस रुपए केवल) मासिक वेतन ले रहा था । अभिलेख पर के साक्ष्य से दर्शित होता है कि वह एम.एससी., एम.फिल अर्हताओं के साथ एक मेधावी व्यक्ति था । वह एम.एससी में प्रथम श्रेणी धारक था । वह गणित में एक चयन श्रेणी प्राध्यापक था और एक विषय-विशेषज्ञ था । उसे महात्मा गांधी विश्वविद्यालय के पैनल में भी सम्मिलित किया गया था और गणित में सीबीसीसीएसएस कार्यक्रम के लिए परीक्षक बोर्ड में परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था । तत्पश्चात्, उसे परीक्षक बोर्ड के उप सभापति के रूप में नियुक्त किया गया था । अभिलेख पर के साक्ष्य से यह भी दर्शित होता है कि महाविद्यालयों में नियुक्ति के लिए गणित के प्राध्यापकों की भारी कमी है और बहुत सारे महाविद्यालयों में सेवानिवृत्त गणित के प्रोफेसर नियुक्त किए जाते हैं । यह सामान्य जानकारी की बात है कि अध्यापकों, विशेष रूप से गणित के अध्यापकों को उनकी सेवानिवृत्ति के पश्चात् भी कोचिंग केंद्रों में नियोजित किया जाता है । वे प्राइवेट ट्यूशन कक्षाएं भी ले सकते हैं । इससे सेवानिवृत्ति के पश्चात् उनकी आय कई गुणा बढ़ जाएगी ।

23. **सरला वर्मा** (उपर्युक्त) वाले मामले में इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि प्रतिकर की संगणना करते समय न्यायालयों को न केवल मृत्यु के समय पर वास्तविक आय पर विचार करना चाहिए अपितु भावी संभाव्यताओं को विचार में लेते हुए परिवर्धन भी करना

चाहिए । यह भी अभिनिर्धारित किया गया था कि यद्यपि साक्ष्य से वृद्धि की एक भिन्न प्रतिशतता उपदर्शित हो सकती है, तो भी अलग-अलग मानदंडों को लागू करने या गणना करने के लिए अपनाई जाने वाली अलग-अलग पद्धतियों से बचने के लिए परिवर्धन का मानकीकरण करना आवश्यक है ।

24. **रेशमा कुमारी और अन्य** बनाम **मदन मोहन और एक अन्य**[1] वाले मामले में इस न्यायालय की एक तीन न्यायाधीशों की न्यायपीठ ने **सरला वर्मा** (उपर्युक्त) वाले मामले में के निर्णय का अनुमोदन किया था ।

25. **प्रणय सेठी** (उपर्युक्त) वाले मामले में इस न्यायालय ने न केवल **सरला वर्मा** (उपर्युक्त) वाले मामले में की गई पूर्वोक्त अभिव्यक्तियों का अनुमोदन किया था अपितु निम्नलिखित भी अभिनिर्धारित किया था :–

> "59.3 आय का अवधारण करते समय, जहां मृतक की स्थायी नौकरी थी और आयु 40 वर्ष से नीचे थी, वहां भावी संभाव्यताओं के लिए मृतक की आय में वास्तविक वेतन के 50 प्रतिशत का परिवर्धन किया जाना चाहिए । यदि मृतक की आयु 40 से 50 वर्ष के बीच थी, तो परिवर्धन 30 प्रतिशत किया जाना चाहिए । यदि मृतक की आयु 50 से 60 वर्ष के बीच थी, तो परिवर्धन 15 प्रतिशत किया जाना चाहिए । वास्तविक वेतन में से कर को कम करके इसे वास्तविक वेतन के रूप में पढ़ा जाना चाहिए ।
>
> 59.4 जहां मृतक की आयु 40 वर्ष से कम थी और यदि मृतक स्व-नियोजित था या एक नियत वेतन पर था, तो स्थापित आय का 40 प्रतिशत परिवर्धन किया जाना आवश्यक है । जहां मृतक की आयु 40 से 50 वर्ष के बीच थी, वहां परिवर्धन 25 प्रतिशत और जहां मृतक की आयु 50 से 60 वर्ष के बीच थी, वहां 10 प्रतिशत संगणना की आवश्यक पद्धति के रूप में समझा जाना चाहिए । स्थापित आय का अर्थ है आय से कर के घटक को घटाकर होने वाली आय ।"

---

[1] (2013) 9 एस. सी. सी. 65.

26. **के. आर. मधुसूदन और अन्य** बनाम **प्रशासनिक अधिकारी और एक अन्य**[1] वाले मामले में यह न्यायालय ऐसे मामले पर विचार कर रहा था जहां उच्च न्यायालय ने निर्भरता की हानि के लिए प्रतिकर की संगणना करने के प्रयोजनार्थ विभाजित गुणक लागू किया और निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया :–

> "8. सरला वर्मा [(2013) 15 एस. सी. सी. 45] वाले मामले में इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि जहां मृतक की आयु 50 वर्ष से अधिक हो, भावी संभाव्यताओं के लिए आय में कोई परिवर्धन नहीं किया जाना चाहिए । विद्वान् न्यायपीठ ने इसे एक काम-चलाऊ नियम कहा और इसे विकसित किया जिससे मुकदमे के परिणाम में अनिश्चितताओं से बचा जा सके । तथापि, न्यायपीठ ने यह अभिनिर्धारित किया कि ऐसे विरल और आपवादिक मामलों में इससे विचलन किया जा सकता है जिनमें विशेष परिस्थितियां अंतर्वलित हों ।
>
> 9. हमारी यह राय है कि सरला वर्मा वाले मामले में प्रतिपादित काम-चलाऊ नियम उन मामलों में लागू किया जाना चाहिए जहां भावी संभाव्यताओं के कारण आय में निश्चित वृद्धि के बारे में अभिलेख पर कोई ठोस साक्ष्य न हो । स्पष्ट रूप से, उक्त नियम धारणा पर आधारित था और विभिन्न न्यायालयों के निर्वचन में अनिश्चितताओं और विसंगतियों से बचने और उनसे निपटने के लिए था ।"

27. **पुतम्मा और अन्य** बनाम **के. एल. नारायण रेड्डी और एक अन्य**[2] वाले मामले में यह न्यायालय पुन: एक ऐसे मामले पर विचार कर रहा था जहां निर्भरता प्रतिकर की संगणना के प्रयोजनार्थ विभाजित गुणक लागू किया गया था । यह अभिनिर्धारित किया गया था :–

> "32. धारा 166 के अधीन मोटर दुर्घटना दावों में प्रतिकर के अवधारण के लिए इस न्यायालय ने सदैव गुणक पद्धति का

---

[1] (2011) 4 एस. सी. सी. 689.

[2] (2013) 15 एस. सी. सी. 45.

अनुसरण किया है । चूंकि गुणक का चयन करने में विसंगतियां थीं, इसलिए सरला वर्मा [(2013) 15 एस. सी. सी. 45] वाले मामले में इस न्यायालय ने मृतक/विपदग्रस्त की आयु समूह के आधार पर गुणक का चयन करने के लिए एक सारणी तैयार की थी । अधिनियम, 1988 में विभाजित गुणक का प्रयोग करना परिकल्पित नहीं है ।

33. के. आर. मधुसूदन **बनाम** प्रशासनिक अधिकारी [(2011) 4 एस. सी. सी. 689] वाले मामले में इस न्यायालय ने निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया था –

> '14. अपील में, जो अपीलार्थियों द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष फाइल की गई थी, उच्च न्यायालय ने अधिकरण द्वारा प्रदान किए गए प्रतिकर की रकम को कायम रखने की बजाय इसे कम कर दिया था । ऐसा करने के लिए उच्च न्यायालय ने कोई कारण नहीं दिया था । उच्च न्यायालय ने विभाजित गुणक की धारणा को पुर:स्थापित किया और अधिकरण द्वारा प्रयुक्त किए गए गुणक से विचलन किया और इसके लिए कोई कारण नहीं बताया । उच्च न्यायालय ने मृतक की भावी वृद्धि की संभाव्यता के बारे में स्पष्ट और संपुष्टिकारी साक्ष्य पर भी विचार नहीं किया था । जब मृतक की आयु 51 और 55 वर्ष के बीच हो तब गुणक 11 है जो मोटर यान अधिनियम की द्वितीय अनुसूची के द्वितीय स्तंभ में विनिर्दिष्ट है और अधिकरण ने उक्त गुणक को स्वीकार करके कोई गलती कारित नहीं की थी । इस न्यायालय की समझ में यह बात भी नहीं आई कि उच्च न्यायालय ने क्यों छह का गुणक लागू किया था ।
>
> 15. अत: हमारी यह राय है कि उच्च न्यायालय का निर्णय अपास्त किए जाने योग्य है क्योंकि यह मृतक की भावी संभाव्यताओं पर विचार न करने और एक विभाजित गुणक पद्धति अपनाने के कारण भी अनुचित है और अभिलेख पर के साक्ष्य के प्रतिकूल है ।'

34. अत: हम यह अभिनिर्धारित करते हैं कि सरला वर्मा [(2013) 15 एस. सी. सी. 45] वाले मामले में इस न्यायालय के विनिश्चय, जिसकी अभिपुष्टि रेशमा कुमारी [(2013) 9 एस. सी. सी. 65] वाले मामले में की गई थी, के अनुसार अधिकरण या न्यायालय को किसी विनिर्दिष्ट कारण के बिना और अभिलेख पर साक्ष्य के अभाव में नैमित्तिक रीति में विभाजित गुणक लागू नहीं करना चाहिए ।"

28. उपरोक्त चर्चा से यह स्पष्ट है कि न्यायालय को आय की संगणना करने के समय पर अभियुक्त की वास्तविक आय पर विचार करना चाहिए और भावी संभाव्यताओं पर विचार करते हुए परिवर्धन किया जाना चाहिए । इसके अतिरिक्त, किसी प्रस्तुत मामले में साक्ष्य से वृद्धि की विभिन्न प्रतिशतता उपदर्शित हो सकती है, किंतु भावी संभाव्यताओं के लिए लागू किए जाने वाले भिन्न-भिन्न मानदंडों या अपनाए जाने वाली संगणना की भिन्न-भिन्न पद्धतियों से बचने के लिए परिवर्धन का मानकीकरण किया जाना चाहिए । **प्रणय सेठी** (उपर्युक्त) वाले मामले में, यदि मृतक की आयु 50 से 60 वर्ष के बीच हो और जहां मृतक की एक स्थायी नौकरी हो, संविधान न्यायपीठ ने काम-चलाऊ नियम के रूप में वेतन के 15 प्रतिशत के परिवर्धन का निदेश दिया था । उपरोक्त को दृष्टिगत करते हुए, उच्च न्यायालय ने इस मामले में विभाजित गुणक लागू करके न्यायोचित नहीं किया था ।

(iii) प्रतिकर की वह रकम क्या है जो अपीलार्थियों को अधिनिर्णीत की जानी चाहिए ?

29. अब हमें प्रतिकर का अधिनिर्णय करना है । हमने पहले ही यह उल्लेख किया है कि मृतक देवासवोम बोर्ड पम्पा महाविद्यालय, परूवामला में सहायक प्रोफेसर के रूप में कार्य कर रहा था और 83,381/- रुपए की मासिक आय ले रहा था जो कि देवासवोम बोर्ड पम्पा महाविद्यालय, परूवामला के प्राध्यापक द्वारा जारी किए गए उसके वेतन प्रमाणपत्र (प्रदर्श ए-5) से स्पष्ट है । मृतक द्वारा माह मई, 2021 के लिए प्राप्त की गई वेतन पर्ची (प्रदर्श ए-6) से भी यह दर्शित होता है कि उसका मासिक वेतन 83,381/- रुपए था । इन दस्तावेजों को

साक्ष्य में उक्त महाविद्यालय के प्राध्यापक के माध्यम से चिह्नित किया गया है, जिसकी अभि. सा. 1 के रूप में परीक्षा की गई थी । इस प्रकार, मृतक की वार्षिक आय 10,00,572/- रुपए बनती है । **सरला वर्मा** (उपर्युक्त) वाले मामले में इस न्यायालय ने यह स्पष्ट किया है कि निर्भरता की हानि की संगणना करने के प्रयोजनार्थ मृतक की उसकी मृत्यु के समय पर वार्षिक आय में से आय-कर घटाकर विचार किया जाना चाहिए । मृतक को 1,13,424/- रुपए वार्षिक का आय-कर के मद्धे संदाय करना था । उक्त रकम की कटौती करने के पश्चात् मृतक की वास्तविक आय 8,87,148/- रुपए बनती है ।

30. मृतक की आयु उसकी मृत्यु के समय पर 52 वर्ष थी और स्थायी नौकरी थी । **प्रणय सेठी** (उपर्युक्त) वाले मामले के निर्णय को ध्यान में रखते हुए, भावी संभाव्यताओं के लिए उसके वास्तविक वेतन का 15 प्रतिशत का परिवर्धन जोड़ा जाना चाहिए । अत: उसके वास्तविक वेतन का 15 प्रतिशत 1,33,072/- रुपए बनता है ।

31. चूंकि मृतक की उसकी मृत्यु के समय पर आयु 52 वर्ष थी, इसलिए लागू होने वाला गुणक '11' है । जैसा कि हमने अभिनिर्धारित किया है कि अपीलार्थी सं. 4, मृतक की सास भी मोटर यान अधिनियम की धारा 166 के अधीन एक आश्रित और "विधिक प्रतिनिधि" है, इसलिए मृतक द्वारा अपने पीछे छोड़े गए आश्रितों की कुल संख्या चार है । अत: उसके व्यक्तिगत व्ययों के लिए आय की एक-चौथाई (वास्तविक वेतन + भावी संभाव्यताओं) कटौती की जानी चाहिए । इस प्रकार, निर्भरता की हानि के लिए संदेय कुल प्रतिकर निम्नलिखित है :–

(1)	(i) वार्षिक वेतन	10,00,572/- रुपए
	(ii) कर को घटाकर	1,13,424/- रुपए
	(iii) वास्तविक वेतन	8,87,148/- रुपए
(2)	भावी संभाव्यताएं : वास्तविक वेतन का 15 प्रतिशत	1,33,072/- रुपए
(3)	निर्भरता की हानि :	84,16,815/- रुपए

	(1) 8,87,148 + (2) 1,33,072-1/4 अर्थात् 2,55,055×11	

32. **प्रणय सेठी** (उपर्युक्त) वाले मामले में इस न्यायालय ने रूढ़िगत शीर्षों अर्थात् संपदा की हानि, सहजीविता की हानि और अंत्येष्टि व्ययों के अधीन 70,000/- रुपए (सत्तर हजार रुपए केवल) की कुल राशि अधिनिर्णीत की थी । यह अभिनिर्धारित किया गया था कि उक्त राशि में प्रत्येक तीन वर्ष में 10 प्रतिशत की दर से वृद्धि की जानी चाहिए । यह अभिनिर्धारित किया गया था :–

> "59.1 रूढ़िगत शीर्षों अर्थात् संपदा की हानि, सहजीविता की हानि और अंत्येष्टि व्ययों पर युक्तियुक्त राशि क्रमश: 15,000/- रुपए, 40,000/- रुपए और 15,000/- होनी चाहिए । पूर्वोक्त रकम में प्रत्येक तीन वर्ष में 10 प्रतिशत की दर पर वृद्धि की जानी चाहिए ।"

33. **प्रणय सेठी** (उपर्युक्त) वाले मामले में निर्णय वर्ष 2017 में दिया गया था । अत: दावेदार 10 प्रतिशत वृद्धि के लिए हकदार हैं । इस प्रकार, प्रत्येक को संपदा की हानि और अंत्येष्टि व्ययों के लिए 16,500/- रुपए की राशि अधिनिर्णीत की जाती है ।

34. **युनाइटेड इंडिया इंश्योरेंश कं. लि.** बनाम **सतिन्दर कौर** उर्फ **सतविन्दर कौर और अन्य**[1] वाले मामले में इस न्यायालय के तीन न्यायाधीशों की न्यायपीठ ने **प्रणय सेठी** (उपर्युक्त) वाले मामले पर विचार करने के पश्चात् दांपत्य सहजीविता 40,000/- रुपए की दर पर (चालीस हजार रुपए केवल) और प्रत्येक बालक को पैतृक सहजीविता की हानि के लिए 40,000/- रुपए (चालीस हजार रुपए) की दर पर अधिनिर्णीत की थी । इन शीर्षों के अधीन भी प्रतिकर में 10 प्रतिशत की वृद्धि किए जाने की आवश्यकता है । इस प्रकार, दांपत्य सहजीविता 40,000/- रुपए (चालीस हजार रुपए केवल) और दोनों बालकों को पैतृक सहजीविता के लिए प्रत्येक को 44,000/- रुपए (कुल 88,000/- रुपए)

---

[1] (2020) एस. एस. सी. ऑनलाइन एस. सी. 410 = ए. आई. आर. 2020 एस. सी. 3076.

अधिनिर्णीत किए जाते हैं ।

35. इस प्रकार, अपीलार्थी निम्न प्रकार से प्रतिकर के लिए हकदार हैं :–

(i)	निर्भरता की हानि	84,16,815/- रुपए
(ii)	संपदा की हानि	16,500/- रुपए
(iii)	अंत्येष्टि व्यय	16,500/- रुपए
(iv)	दांपत्य सहजीविता	44,000/- रुपए
(v)	पैतृक सहजीविता	88,000/- रुपए
	कुल	85,81,815/- रुपए

36. अपीलार्थी उक्त रकम पर दावा अर्जी की तारीख से इसकी वसूली की तारीख तक 7.5 प्रतिशत वार्षिक दर पर ब्याज के लिए भी हकदार हैं । तद्नुसार, प्रत्यर्थी को निदेश दिया जाता है कि वह उपरोक्त रकम को दावा अर्जी की तारीख से इसके जमा करने की तारीख तक उस पर 7.5 प्रतिशत वार्षिक की दर पर प्रोद्भूत ब्याज सहित, प्रत्यर्थी द्वारा जमा की गई रकम, यदि कोई है, की कटौती करने के पश्चात् आज से आठ सप्ताह के भीतर जमा करे ।

37. परिणामतः, यह अपील पूर्वोक्त निबंधनों के अनुसार मंजूर की जाती है । पक्षकारों को अपना-अपना खर्चा स्वयं वहन करने का निदेश दिया जाता है ।

38. लंबित आवेदनों, यदि कोई हैं, का भी निपटारा हो जाएगा ।

अपील मंजूर की गई ।

जस.